आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ.7(4)छात्रसंघ चुनाव/अकाद/आकाशि/2022/690 दिनांक 17 अगस्त, 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– महाविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनाव 2022 बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार ने प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के छात्रसंघ चुनाव दिनांक 26.08.2022 को सम्पन्न करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 18.08.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 26.08.2022 को मतदान एवं दिनांक 27.08.2022 को परिणाम जारी होने के पश्चात् समाप्त होगी।

छात्र संघ चुनाव के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के क्रम में छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है–

1. छात्र संघ के सभी चुनाव लिंगदोह समिति की अनुशंषाओं के आधार पर होंगे एवं समस्त महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि लिंगदोह समिति अनुशंषाओं की अक्षरशः अनुपालना की जाएगी।
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव पद पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का महाविद्यालय में न्यूनतम एक वर्ष तक अध्ययनरत होना आवश्यक नहीं है।
3. केवल पूर्णकालिक विद्यार्थी ही छात्र संघ चुनाव लड़ सकता है न कि ऐसे श्रम विधि डिप्लोमा विद्यार्थी जो कि न्यायालय में नियमित वकालत भी कर रहे हों।
4. एक वर्षीय अथवा उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।
5. जिन कक्षाओं का विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है या परीक्षायें आयोजित नहीं की गई है उन विद्यार्थियों को एकबारीय प्रवेश प्रक्रिया के नियमानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित करें।
6. लिंगदोह समिति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है लेकिन कार्यकारिणी सदस्य (कक्षा प्रतिनिधि) का चुनाव दो बार लड़ सकता है।
7. छात्र संघ चुनाव 2022 में छात्रसंघ पदाधिकारी का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निम्नानुसार होंगी–

क्र.सं.	पद	योग्यता
1.	अध्यक्ष एवं महासचिव	स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी
2.	उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी
3.	कक्षा प्रतिनिधि	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी

8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव एवं कक्षा प्रतिनिधि हेतु छात्र प्रतिनिधि निकाय का गठन उन सभी महाविद्यालयों में होगा जहां स्नातक स्तर तक की सभी कक्षाएं अथवा स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
9. वे सभी नवीन महाविद्यालय जहां स्नातक की प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष तक की कक्षाएं ही संचालित है वहां केवल कक्षा प्रतिनिधि के ही चुनाव होंगे।
10. कक्षा प्रतिनिधि 40 विद्यार्थियों पर एक व न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर ही दूसरा अथवा तीसरा प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 30 से कम विद्यार्थी होने पर न्यूनतम एक कक्षा प्रतिनिधि चयनित करना होगा।
11. छात्र प्रतिनिधि निकाय के सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष रहेगी। केवल स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए तथा शोध छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। उम्मीदवार विद्यार्थी की आयु गणना नामांकन पत्र दाखिल करने के समय की जाएगी।

12. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी होने के कारण चुनाव में भाग लेने एवं मतदान करने का पूर्ण अधिकार है।
13. छात्रसंघ चुनाव 2022 में छात्रसंघ पदाधिकारी का चुनाव लड़ने के इच्छुक विद्यार्थियों से रूपये 100/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लिया जाए कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि कोई निर्वाचित पदाधिकारी परीक्षा परिणाम के उपरांत लिंगदोह समिति के अनुसार निर्वाचन की योग्यता पूर्ण नहीं करता है तो उसका निर्वाचन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
14. यदि कोई भी शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी किसी भी छात्र नेता, छात्र संगठन से सम्बद्ध होना या महाविद्यालय के शांतिपूर्ण वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
15. दिनांक 18 अगस्त, 2022 से 27 अगस्त 2022 को मतगणना वाले दिन तक महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम में पदाधिकारी की शपथ ग्रहण होने तक महाविद्यालय में उपस्थित रहकर महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे।
16. महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना तुरंत कन्ट्रोल रूम के सम्भागशः अधिकारी को दूरभाष से दी जाए।
17. छात्र संघ चुनावों की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्राचार्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अत्यंत आवश्यक परिस्थिति होने पर ही उनका अवकाश स्वीकृत करें, अन्यथा नही।
18. संदर्भित आदेश दिनांक 25.6.2010 के बिंदु संख्या 8(VIII) में दिए गए "वह कभी भी किसी भी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो" से तात्पर्य है कि चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस में एफ आई आर दर्ज होने पर भी उसका न्यायालय से चालान प्रस्तुत करने पर भी वह छात्र उम्मीदवार के लिए पात्र होगा यदि उसके विरुद्ध न्यायालय ने आरोप निर्धारित नहीं किए हो।
19. महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी चुनाव लड सकेंगे तथा जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र 2022–23 में प्रवेश लिया हो तथा किन्हीं कारणों से विद्यार्थी सत्र 2022–23 में नियमित विद्यार्थी नहीं रह पाता है तो उसकी छात्रसंघ की पदाधिकारी/सदस्य के रूप में सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इसी प्रकार किन्हीं कारणों से विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। यह प्रावधान केवल इसी सत्र हेतु एक बार के लिए लागू किया जायेगा।

भवदीय,

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

Shailaa 17.8.22

(डॉ. शैला महान)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)